नम्बर मुकदमा 166/2018
विद्यादेवी व अन्य बनाम रणजीत सिंह व अन्य

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकरण संख्या 166/2018

1. श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री रेखाराम, जाति जाट, साकिन 20 एलएनपी हाल वार्ड नं. 15, मिनी मायापुरी, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर
2. संजय पोटलिया पुत्र श्री रेखाराम, जाति जाट साकिन 20 एलएनपी, हाल वार्ड नं. 15 मिनी मायापुरी, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर

– – **प्रार्थीगण**

–:: बनाम ::–

1. रणजीत सिंह पुत्र श्री दौलतराम, जाति जाट, साकिन 18 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर (राजस्थान)

– – **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

श्री महेन्द्रपाल गुप्ता अधिवक्ता – – प्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– **15.05.2018**

प्रार्थना पत्र के तथ्यानुसार प्रार्थीया सं.1 श्रीमती विद्या देवी के नाम से चक 20 एल एन पी , तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 52 का किला नं. 1,2, 9, 10 की 1.012 हैक्टर बारानी व प्रार्थी सं. 2 संजय पोटलिया के नाम से मुरब्बा नम्बर 52 का किला नं. 12, 12, 20 की 0.759 हैक्टर बारानी कृषि भूमि दर्ज खातेदार राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम से मु.नं. 52 के किला नं. 3 ता 8 व 13/1 में 2.429 हैक्टर बारानी रकबा दर्ज कागजात माल है। प्रार्थीगण के उक्त रकबा में जाने के लिए कोई स्वीकृत अथवा वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16 व 25 में स्वीकृत रास्ता में से होकर मुरब्बा नम्बर 52 के किला नं. 3, 4 व 5 की उत्तरी साइड में से पूर्व से पश्चिम (खाला के साथ साथ) घरू तौर पर 0.018–0.018 हैक्टर रकबा में चल रहे रास्ता से होकर अपने खेत किला नं. 2 में प्रवेश करते हैं, लेकिन उक्त रकबा अप्रार्थी सं.1 के नाम से खातेदारी दर्ज होने के कारण हमेशा विवाद बना रहता है। इसलिए प्रार्थीगण उक्त मुरब्बा नं. 52 के किला नं. 3, 4, 5 प्रत्येक में 0.018–0.018 हैक्टर उत्तर दिशा की ओर से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण

को अपने रकबा में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक अथवा स्वीकृत रास्ता नहीं है, प्रार्थीगण द्वारा केवल कृषि के सुविधाजनक उपयोग हेतु रास्ता की मांग नहीं की जा रही है, बल्कि प्रार्थीगण को अपने रकबा में आने जाने व कृषि कार्य करने के लिए रास्ता की आत्यंतिक आवश्यकता है। उक्त रास्ता अरसा दराज से घरू तौर पर चल रहा है तथा प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं.1 को क्षतिपूर्ति स्वरूप अपनी भूमि चक 20 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नं. 52 के किला नं. 9 में से प्रार्थीया विद्या देवी द्वारा 0.027 हैक्टर रकबा किला नं. 8 के साथ चिपता हुआ रकबा व किला नं. 12 में से प्रार्थी संजय पोटलिया द्वारा 0.027 हैक्टर रकबा किला नं. 13 के साथ चिपता हुआ दिया हुआ है, जिस पर अप्रार्थी सं.1 काबिज चला आ रहा है व काश्त कर रहा है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी से रास्ता को स्वीकृत करवाने के लिए कई बार कहा गया है, मगर पहले तो वह टालमटोल करता रहा लेकिन दिनांक 07.05.2018 को उन्होंने सहमति से रास्ता देने से इन्कार कर दिया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण को रकबा में आने जाने के लिए चक 20 एल एन पी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरबा नम्बर 52 के किला नं. 3, 4, 5 की उत्तरी साइड में से 0.018–0.018 कुल 0.054 हैक्टर(पूर्व से पश्चिम) रकबा बतौर रास्ता स्वीकृत किया जावे तथा क्षतिपूर्ति के तौर पर प्रार्थीगण के रकबा चक 20 एलएनपी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरबा नम्बर 52 के किला नं. 9 में से प्रार्थीया विद्यादेवी द्वारा 0.027 हैक्टर रकबा, किला नं. 8 के साथ चिपता हुआ रकबा व किला नं. 12 में से प्रार्थी संजय पोटलिया द्वारा 0.027 हैक्टर रकबा, किला नं. 13 के साथ चिपता हुआ, अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज किया जावे।

अप्रार्थी राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 "न्याय आपके द्वार" कैम्प साधुवाली में स्वयं उपस्थित। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना एवं आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया जिसके

राजीनामा को तस्दीक किया गया। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

उभयपक्षों को सुना गया। पत्रावली पर उपस्थित तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर एवं लोक अदालत में प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर प्रार्थीगण को आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना न्यायोचित पाया गया।

–:: आदेश ::–

राजीनामा के आधार पर प्रार्थीगण श्रीमती विद्यादेवी एवं संजय पोटलिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 20 एल एन पी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 3, 4, 5 की उत्तरी साइड में 0.018–0.018 कुल 0.054 हैक्टर (पूर्व से पश्चिम) रकबा गैरमुमकीन रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा क्षतिपूर्ति के तौर पर प्रार्थीगण के रकबा चक 20 एल एन पी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 52 के किला नं. 9 में से प्रार्थीया विद्यादेवी द्वारा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

0.027 हैक्टर रकबा, किला नं. 8 के साथ चिपता हुआ रकबा व किला नं. 12 में से प्रार्थी संजय पोटलिया द्वारा 0.027 हैक्टर रकबा, किला नं. 13 के साथ चिपता हुआ, अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करे।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।।

आदेश आज राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 न्याय आपके द्वार, कैंप साधुवाली दिनांक 15.05.2018 को लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर